निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1937 (शo)

(सं0 पटना 545) पटना, वृहस्पतिवार, 7 मई 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

24 मार्च 2015

सं0 1805—दरभंगा जिलान्तर्गत बहादुरपुर अंचल के ग्राम–जलवार स्थित श्री राम जानकी मन्दिर पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4373 है। इस मन्दिर के संबंध में स्थानीय जनता ने पर्षद को सूचित किया है कि ग्रामीण के सहयोग से सार्वजनिक चन्दा इकट्ठा कर श्री राम जानकी मन्दिर का जीर्णोद्धार कर इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। साथ ही चूंकि इसका जीर्णोद्धार सार्वजनिक चन्दा से किया गया है अतएव इसे सार्वजनिक मन्दिर का स्वरूप दिया गया है। दिनांक 13.06.2014 को श्री राम जानकी मन्दिर के प्रांगण में एक आम सभा आयोजित कर इस सार्वजनिक मन्दिर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से सार्वजनिक मन्दिर के रूप में पंजीकृत कराने तथा इसके सुचारू प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त आम सभा के निर्णय एवं खतियान में श्री राम जानकी लक्ष्मण जी के नाम का उल्लेख होने के कारण पर्षद में सार्वजनिक मन्दिर के रूप में इसका निबंधन किया गया है। चूंकि आमसभा द्वारा इसके सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया है, अतः श्री राम जानकी मन्दिर, जलवार की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मन्दिर, जलवार की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नामा **''श्री राम जानकी मन्दिर न्यास योजना''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री राम जानकी मन्दिर न्यास समिति, जलवार''** होगा।

2. श्री राम जानकी मन्दिर, जलवार तथा इसकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार श्री राम जानकी मन्दिर न्यास समिति में निहित होगा।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मन्दिर में परम्परागत पूजा–अर्चना, राग–भोग, उत्सव–समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।

4. मन्दिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर सत्यापित पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।

5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा एवं मांगलिक/धार्मिक आयोजनों के लिए निर्धारित राशि के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।

6. न्यास समिति के आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।

7. मन्दिर में आने वाल आस्थावान भक्तों के साथ किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। रामनवमी, विवाह पंचमी आदि विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का ख्याल रखा जायेगा।

8. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी और बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दों के हस्ताक्षर से होगा।

9. न्यास समिति न्यास परिसर को स्वच्छ एवं अतिक्रमणमुक्त, यदि हो तो, रखेगी।

10. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा वार्षिक आय–व्यय का विवरण, बजट, देय शुल्क की राशि एवं बैठकों की कार्यवृत्त पर्षद को ससमय भेजेगी।

11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगें। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होगें और कोषाध्यक्ष लेखा की सम्यक् संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।

12. न्यास समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार अवश्य होगी।

13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

14. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि मन्दिर की सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभान्वित होगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

15. उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1) श्री पं0 हेमचन्द्र ठाकुर, पिता–स्व0 राम ठाकुर	– अध्यक्ष
(2) श्री रमेश ठाकुर, पिता–स्व0 बैकुण्ठ ठाकुर	– सचिव
(3) श्री काशीनाथ ठाकुर (भू0 पू0 सैनिक) पिता– स्व0 रामअधीन ठाकुर	– कोषाध्यक्ष
(4) श्री लक्ष्मण झा पिता– स्व0 राजकान्त झा	– सदस्य
(5) श्री मंगल कहार, पिता– स्व0 गंगा कहार	– सदस्य
(6) श्री दिलीप ठाकुर, पिता– श्री जीवछ ठाकुर	– सदस्य
(7) श्री सतीश कुमार, पिता–स्व0 पशुपति ठाकुर	– सदस्य
(8) श्री हरिनाथ ठाकुर (भू0 पू0 सैनिक) पिता–स्व0 श्रीकान्त ठाकुर	– सदस्य
(9) श्री सूर्यकुमार ठाकुर, पिता– स्व0 शंकुन्त ठाकुर	– सदस्य
(10) श्री नित्यानंद झा, पिता– स्व0 संगम लाल झा	– सदस्य
(11) श्री सुरेन्द्र ठाकुर, पिता–स्व0 रत्नेश ठाकुर	– सदस्य

उपर्युक्त सभी ग्राम–जलवार, पो0–कमरौली, थाना–सिमरी जिला–दरभंगा।

यह योजना दिनांक 25.03.2015 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 545-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in